F.No. 15-231/NMA/HBL-2022

Government of India
Ministry of Culture
National Monuments Authority

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument "**City Cemetery, Karwi, District, Chitrakoot, U.P**" have been prepared by the Competent Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. In terms of Rule 18 (2) of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, the above proposed Heritage Bye-Laws are uploaded on the following websites for inviting objections or suggestions from the Public:

i. National Monuments Authority **www.nma.gov.in**
ii. Archaeological Survey of India **www.asi.nic.in**
iii. Archaeological Survey of India, Jhansi Circle **www.asicirclejhansi.in**

2. Any person having any objections or suggestions may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi- 110001 or mail at the email ID **ms-nma@nic.in** and **arch-section@nma.gov.in** latest by 22nd January, 2023. The person making objections or suggestion should also give their name, address and mobile number.

3. In terms of Rule 18(3) of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, the Authority may decide on the objections or suggestions so received before the expiry of the period of 30 days i.e. 22nd January, 2023 in consultation with Competent Authority and other Stakeholders.

Marwaha

(Col. Savyasachi Marwaha)
Director, NMA
22 Dec 22

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

नगर कब्रिस्तान, कर्वी, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के लिये धरोहर उप-विधि

Heritage Byelaws for

City Cemetery , Karwi , District Chitrakoot, Uttar Pradesh

विषयवस्तु		
अध्याय I **प्रारंभिक**		
1.0	संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ	08
1.1	परिभाषाएँ	08
अध्याय II **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि**		
2.0	अधिनियम की पृष्ठभूमि	12
2.1	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	12
2.2	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां (नियमों के अनुसार)	12
अध्याय III **केंद्रीय संरक्षित स्मारक नगर कब्रिस्तान, कर्वी, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश का स्थान एवं अवस्थिति**		
3.0	स्मारक का स्थान एवं अवस्थिति	14
3.1	स्मारक की संरक्षित चारदीवारी	15
	3.11भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकार्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र / योजना:	15
3.2	स्मारक का इतिहास	15
3.3	स्मारक का विवरण (वास्तुशिल्पीय विशेषताएं, तत्व, सामग्रियॉ आदि)	15
3.4	वर्तमान स्थिति	15
	3.4.1 स्मारक की स्थिति- स्थिति का आकलन	15
	3.4.2 प्रतिदिन आने वाले और कभी-कभार एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्या	15
अध्याय IV **स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में, विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो**		
4.0	स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में विद्यमान क्षेत्रीकरण	16
4.1	विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप पद्धति -2008 (उत्तर प्रदेश (यू.पी.) विकास योजना -2008)	16
अध्याय V **प्रथम अनुसूची, और टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना**		
5.0	स्मारक की रूपरेखा	16
5.1	सर्वेक्षित ऑकड़ों का विश्लेषण	16
	5.1.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	16

	5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	17
	5.1.3 हरित/खुले क्षेत्रों का विवरण	18
	5.1.4 परिसंचरण के अंर्तनिहित आवृत्त क्षेत्र- सड़क, पैदल पथ आदि	19
	5.1.5 भवनों की ऊंचाई (क्षेत्रवार)	19
	5.1.6 राज्य संरक्षित स्मारक और सूचीबद्ध विरासत भवन	19
	5.1.7 सार्वजनिक सुविधाएं	19
	5.1.8 स्मारकों तक पहुँच	19
	5.1.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं	20
	5.1.10 प्रस्तावित क्षेत्रीकरण (स्थानीय निकाय के दिशा निर्देशों के अनुसार क्षेत्र)	20
	अध्याय VI **स्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक मूल्य**	
6.0	ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	20
6.1	स्मारकों की संवेदनशीलता	20
6.2	संरक्षित स्मारकों अथवा क्षेत्र से दृश्य और विनियमित क्षेत्र से दिखाई देने वाला दृश्य	20
6.3	पहचान किये जाने वाले भू-प्रयोग	21
6.4	संरक्षित स्मारकों के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष	21
6.5	सांस्कृतिक भूदृश्य	21
6.6	महत्वपूर्ण प्राकृतिक भूदृश्य	21
6.7	खुले स्थान तथा निर्मित भवन का उपयोग	22
6.8	परंपरागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियॉ	22
6.9	स्मारकों एवं विनियमित क्षेत्रों से दृश्यमान क्षितिज	22
6.10	स्थानीय वास्तुकला	22
6.11	स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध विकासात्मक योजना	22
6.12	भवन संबंधी मापदंड	23
6.13	पर्यटक सुविधाएं और साधन	23
	अध्याय VII **स्थल विशिष्ट संस्तुतियां**	
7.1	स्थल विशिष्ट संस्तुतियां	24
7.2	अन्य संस्तुतियॉ	24

CONTENTS

CHAPTER I **PRELIMINARY**		
1. 0	Notification and Short title, Extent and Commencement	25
1. 1	Definitions	25
CHAPTER II **BACKGROUND OF THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS (AMASR) ACT, 1958**		
2.0	Background of the Act	28
2.1	Provision of Act related to Heritage Bye-Laws	28
2.2	Rights and Responsibilities of Applicant(as laid down in Rules)	28
CHAPTER III **LOCATION AND SETTING OF CENTRALLY PROTECTED MONUMENTS OF CITY CEMETERY , KARWI , DISTRICT CHITRAKOOT, UTTAR PRADESH**		
3.0	Location and Setting of the Monument	29
3.1	Protected boundary of the Monument	30
	3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:	30
3.2	History of the Monument	30
3.3	Description of Monument (Architectural features, Elements, Materials etc.)	30
3.4	Current Status:	
	3.4.1 Condition of Monument – condition assessment	30
	3.4.2 Daily footfalls and Occasional gathering numbers	30
CHAPTER IV **EXISTING ZONING, IF ANY, IN THE LOCAL AREA DEVELOPMENT PLAN**		

4.0	Existing Zoning in the local area development plans	30
4.1	Existing Guidelines of the local bodies as per Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhniyam,1973	30
	CHAPTER V **INFORMATION AS PER FIRST SCHEDULE AND TOTAL STATION SURVEY**	
5.0	Contour Plan of the Monument	31
5.1	Analysis of surveyed data:	31
	5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area details	31
	5.1.2 Description of built up area	31
	5.1.3 Description of green/open spaces	32
	5.1.4 Area covered under circulation – roads, footpaths etc.	33
	5.1.5 Height of buildings (zone-wise)	33
	5.1.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings	33
	5.1.7 Public amenities	33
	5.1.8 Access to monuments	33
	5.1.9 Infrastructure services	33
	5.1.10 Proposed zoning of the	33
	CHAPTER VI **ARCHITECTURAL, HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL VALUE OF THE MONUMENT**	
6.0	Historical and archaeological value	34
6.1	Sensitivity of the monuments	34
6.2	Visibility from the protected monuments or area and visibility from Regulated Area	34

6.3	Land-use to be identified	34
6.4	Archaeological heritage remains other than protected monuments	34
6.5	Cultural landscapes	34
6.6	Significant natural landscapes	35
6.7	Usage of open space and constructions	35
6.8	Traditional, historical and cultural activates	35
6.9	Skyline as visible from the monuments and from Regulated Areas	35
6.10	Vernacular architecture	35
6.11	Developmental plan as available by the local authorities	35
6.12	Building related parameters	35
6.13	Visitor facilities and amenities	36
	CHAPTER VII **SITE SPECIFIC RECOMMENDATIONS**	
7.1	Local governance and Heritage Management	37
7.2	Other Site Specific Recommendations	37

	संलग्नक/ ANNEXURES	
संलग्नक- I	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र - संरक्षित सीमाओं की परिभाषा	38
Annexure- I	Notification Map as per ASI records – definition of Protected Boundaries	38
संलग्नक- II	संस्मारक की अधिसूचना	39
Annexure- II	Notification of the Monument	39
संलग्नक- III	स्थानीय निकाय दिशा निदेश	41
Annexure- III	Local Bodies Guidelines	52
संलग्नक- IV	नगर कब्रिस्तान, कर्वी, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना	60
Annexure- IV	Survey Plan of Bijamandal Mosque, City Cemetery , Karwi , District Chitrakoot, Uttar Pradesh	60
संलग्नक- V	नगर कब्रिस्तान, कर्वी, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश स्मारकों के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र	61
Annexure- V	Pictures of City Cemetery, Karwi, District - Chitrakoot, Uttar Pradesh	61

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20 ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक, **"नगर कब्रिस्तान, कर्वी, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश"** के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप-विधि जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य निष्पादन), नियमावली, 2011 के नियम 18, उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के अंदर आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, को सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय), 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली के पास भेजा जा सकता है अथवा hbl-section@nma.gov.in पर ई-मेल किया जा सकता हैं।

उक्त प्रारूप उप-विधि के संबंध में किसी व्यक्ति से यथा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त आपत्ति या सुझावों पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप धरोहर उप –विधि

अध्याय I

प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को केंद्रीय संरक्षित स्मारक, "नगर कब्रिस्तान, कर्वी, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश" के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2022 कहा जाएगा।

(ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.1 परिभाषाएं :-

(1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिकया पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्तरूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषअधिनियम,1958 (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों,मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिएनिर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात = भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ठ) "परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूलरूप से बनाए रखना और खराब होती स्थिति की गति को धीमा करना है;

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ़) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(थ) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएंसमान हैं;

(द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।

(2) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि (ए.एम.ए.एस.आर.) अधिनियम, 1958

2. अधिनियम की पृष्ठभूमि : धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) विनियमित क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.1 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध : प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958, धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष(धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011, नियम 22 में केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए उप नियम बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए पैरामीटर का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.2 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार

अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या पुनरुद्धार के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून,1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का काम कराना चाहता है, जैसा भी स्थिति हो,ऐसी मरम्मत और पुनरुद्धार को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करसकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण,अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का कार्य कराना चाहता है,जैसी भी स्थिति हो, निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम,2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

केन्द्रीय संरक्षित स्मारक- "नगर कब्रिस्तान, कर्वी, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश" का स्थान एवं अवस्थिति

3.0 स्मारक की अवस्थिति एवं विन्यास

- स्मारक जी.पी.एस. निर्देशांक 25°12'52.20" उत्तरी अक्षांश एवं 80°54'36.26" पूर्वी देशांतर पर स्थित है।
- इससे पहले, जब स्मारक को 1920 में अधिसूचित किया गया था, स्मारक स्थल बांदा जिले की कर्वी तहसील का एक हिस्सा था।
- लेकिन बाद में 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पुराने बांदा जिले से एक नया जिला बनाया, जिसका नाम - चित्रकूट रखा गया। अतः अब यह स्मारक चित्रकूट जिले के अंतर्गत आता है और यह उसी जिले के चित्रकूट धाम (कर्वी) नगर के पश्चिम दिशा में स्थित है।
- नगर के अंदर, स्मारक पुरानी बाजार इलाके में स्थित है और निकटतम रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम कर्वी रेलवे स्टेशन है, जो उसी नगर के भीतर स्थित है, 1.9 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन रोड, शंकर बाजार / कोतवाली रोड, पांडे कॉलोनी के माध्यम से सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग - 35 [NH-35] और नूरानी मस्जिद की ओर सड़क स्थित है।
- निकटतम हवाई अड्डा चित्रकूट हवाई अड्डा है, जो चित्रकूट जिले के सिद्धपुर नगर (23 किमी दूर) में निर्माणाधीन है।
- इसके अलावा, आगंतुक दूसरे हवाई अड्डे के टर्मिनल-इलाहाबाद हवाई अड्डे प्रयागराज नगर में भी उतर सकते हैं और वहां से 117 किमी (आई.टी.बी.पी. रोड, एयरपोर्ट रोड, वीर पथ, कानपुर-इलाहाबाद राजमार्ग के माध्यम से) की दूरी तय करके स्मारक तक पहुंच सकते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड, भरवारी बाईपास रोड, स्टेट हाईवे - 94 [SH-94], मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड - 26B [MRD- 26], नेशनल हाईवे - 35 [NH-35] और नूरानी मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क स्थित है।

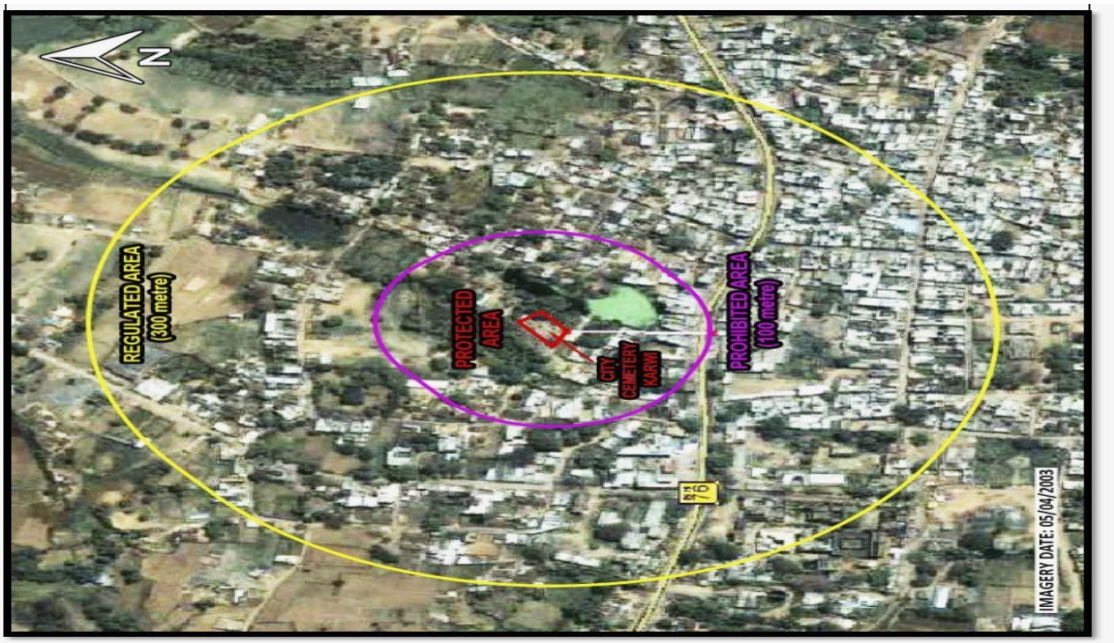

नगर कब्रिस्तान, कर्वी, जिला -चित्रकूट, उत्तर प्रदेश का गूगल मानचित्र

3.1 स्मारक की संरक्षित चारदीवारी:

संलग्नक-I पर नगर कब्रिस्तान, कर्वी, जिला - चित्रकूट, उत्तर प्रदेश की संरक्षित सीमा।

3.1.1.भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अभिलेख (रिकॉर्ड) के अनुसार अधिसूचना मानचित्र / योजना:

नगर कब्रिस्तान, कर्वी जिला-चित्रकूट, उत्तर प्रदेश की गजट अधिसूचना की प्रति **अनुलग्नक-II** में देखी जा सकती है।

3.2. स्मारक का इतिहास :

नगर कब्रिस्तान, कर्वी एक छोटा कब्रिस्तान है जिसमें 1906 ई. के बाद की कुछ कब्रें हैं।

3.3. स्मारक का विवरण (वास्तुशिल्पीय विशेषताएं, तत्व, सामग्रियॉ आदि)

नगर कब्रिस्तान, कर्वी लखौरी ईंटों से बनी चारदीवारी के भीतर स्थित है। कुछ कब्रों पर उनकी छतरियों पर शिलालेख भी हैं। सामान्य वास्तुकला नुकीले और स्मारक स्तंभ शीर्ष के साथ संरचना डिजाइन की तरह है। सभी कब्रिस्तान स्थल के साथ मेल खाने वाली चारदीवारी से घिरे हुए हैं

3.4.वर्तमान स्थिति

3.4.1. स्मारक की स्थिति स्थिति का -आकलन

यह स्मारक अच्छी तरह से परिरक्षित है।

3.4.2. प्रतिदिन एवं यदा -कदा आने वाले आगंतुकों की संख्या:

स्मारक पर प्रतिदिन औसतन 20-25 आगंतुक आते हैं।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.0. विद्यमान क्षेत्रीकरण :

किसी भी स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में क्षेत्रीकरण नहीं किया गया है।

4.1. स्थानीय निकायों के विद्यमान दिशा: निर्देश-

इसे **अनुबंध-III** में देखा जा सकता है।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1) / टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

5.0 रूपरेखा योजना

नगर कब्रिस्तान, कर्वी, जिला-चित्रकूट, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना **अनुबंध-IV** में देखी जा सकती है।

5.1.सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण

5.1.1. प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

- संरक्षित क्षेत्र (लगभग): 586.79418 वर्गमीटर (0.145 एकड़)।
- प्रतिषिद्ध क्षेत्र (लगभग): 41253.65437 वर्गमीटर (10.194 एकड़)।
- विनियमित क्षेत्र (लगभग): 270997.7403 वर्गमीटर (66.965 एकड़)।

मुख्य विशेषताएं :

- स्मारक प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में विद्यमान आधुनिक संरचनाओं से घिरा हुआ है।
- निर्मित क्षेत्र का उपयोग ज्यादातर आवासीय और व्यावसायिक है। इसके अलावा, कई सार्वजनिक संरचनाएं, जैसे स्कूल, मंदिर, मस्जिद, मदरसा, शैक्षिक अकादमी, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी कार्यालय/विभाग, रेस्तरां, भोजन कियोस्क, गेस्ट हाउस, होटल

आदि भी आसपास विस्तीर्ण हैं। इसके अलावा, खेती की भूमि, खेल का मैदान, पेड़ों के साथ अनिर्मित भूमि और पानी से भरे निचले क्षेत्र के रूप में कुछ खुले स्थान भी स्मारक के पास विद्यमान हैं।

- इसके अतिरिक्त, एक राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई शहरी सड़कें भी स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के चारों ओर स्थित है जिनमें परिचालन होता है जो परिधि क्षेत्र और नगर के अन्य हिस्सों में अच्छी संपर्कता प्रदान करती हैं।

5.1.2. निर्मित क्षेत्र का विवरण

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- **उत्तर:** इस दिशा में कोई भी संरचना विद्यमान नहीं है। इसके अलावा उत्तर-पूर्व दिशा में कुछ घर, दुकानें, एक मंदिर और एक कुआं अवस्थित है।
- **दक्षिण:** इस दिशा में कोई संरचना नहीं है। इसके अलावा उत्तर-पूर्व दिशा में कुछ घर, दुकानें, एक मंदिर और एक कुआं अवस्थित है।
- **पूर्व:** इस दिशा में कोई संरचना नहीं है। इसके अलावा उत्तर-पूर्व दिशा में कुछ घर, दुकानें, एक मंदिर और एक कुआं अवस्थित है।
- **पश्चिम:** इस दिशा में कोई संरचना नहीं है। इसके अलावा उत्तर-पूर्व दिशा में कुछ घर, दुकानें, एक मंदिर और एक कुआं अवस्थित है।

विनियमित क्षेत्र

- **उत्तर:** इस दिशा में मकान, दुकानें, प्ले स्कूल, निजी कार्यालय, पुलिस थाना और हैंडपंप हैं। जबकि उत्तर-पूर्व दिशा में कुछ आवास, दुकानें, ग्रामीण झोपड़ी शैली की संरचनाएं, मंदिर, दरगाह, मदरसा और एक कब्रिस्तान भी विद्यमान हैं।

- **दक्षिण:** इस दिशा में घर, दुकान, संचार टावर, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक, हैंड, पंप, क्लिनिक, मंदिर और मस्जिद इस दिशा में मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण-पश्चिम दिशा में अनेक आवास, दुकानें, स्कूल, बैंक, उत्तर प्रदेश (यू.पी.) आबकारी, नगर पालिका कार्यालय, किसान सेवा केंद्र, मंदिर और एक पेट्रोल पंप भी मौजूद है।

- **पूर्व :** आवास, दुकान, जी.पी.ओ. ऑफिस, स्कूल, मंदिर, मस्जिद और कुआं इस दिशा में मौजूद हैं। इसके अलावा, दक्षिण-पूर्व दिशा में कुछ आवास, दुकानें, भोजन कियोस्क, निजी कार्यालय, शैक्षिक अकादमी, एक वैदिक क्लिनिक और मंदिर भी मौजूद हैं।

- **पश्चिम:** दिशा में आवास, दुकान, सिंचाई विभाग, किसान केन्द्र, बैंक, पुराना जिला अस्पताल, बैंक, पैथोलॉजी लैब और एक मंदिर इस दिशा में मौजूद हैं। इसके अलावा, कुछ आवास, दुकानें और ग्रामीण शैली की झोपड़ी संरचना भी उत्तर पश्चिम दिशा में मौजूद हैं।

5.1.3. हरित खुले क्षेत्रों का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

- **उत्तरः** इस दिशा में खुली कृषि भूमि और असिंचित भूमि खंड विद्यमान हैं। इसके अलावा उत्तर-पूर्व दिशा में कुछ पेड़ों के साथ भूमि का एक खुला अनिर्मित पथ भी अवस्थित है।
- **दक्षिण:** इस दिशा में एक नीचा खुला क्षेत्र होता है जिसमें कभी-कभी पानी भर जाता है और साथ ही कुछ पेड़ भी होते हैं। इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम दिशा में खुली अनिर्मित भूमि का एक छोटा सा भूखंड भी अवस्थित है।
- **पूर्व दिशा में**: इस दिशा में जमीन के कुछ छोटे अनिर्मित भूखंड विद्यमान हैं। इसके अलावा, खुली भूमि एक निचले इलाके का हिस्सा है जो पानी से भर जाती है, वह भी दक्षिण-पूर्व में है।
- **पश्चिमः** मौजूदा ढांचों के बीच में जमीन के छोटे-छोटे अनिर्मित भूखंड इस दिशा में हैं। इसके अलावा, दक्षिण पश्चिम दिशा में खुली खेती की भूमि और पेड़ वाले भूमि के असंरचित भूखंड भी हैं।

विनियमित क्षेत्र:

- **उत्तर:** विद्यमान संरचनाओ के बीच में बड़ी मात्रा में अनिर्मित भूमि के खुले भूखंड इस दिशा में हैं। इसके अलावा, एक खुली भूमि है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं।
- **उत्तर-पूर्व** दिशा में एक कब्रिस्तान का परिसर, नाला के रूप में एक जलधारा और खुली खेती की जमीन भी है।
- **दक्षिण:** सी.एम.ओ. कार्यालय का हिस्सा बनने वाले पेड़ों के साथ खुली भूमि, इस दिशा के बाहरी इलाके में है। इसके अलावा, पेड़ों के साथ कुछ खुली भूमि और पार्किंग के उद्देश्य से कब्जा किया गया दूसरा भूखंड भी दक्षिण-पश्चिम दिशा में है।

- **पूर्व:** इस दिशा में शमशान भूमि, खेती की भूमि और पानी के तालाब के परिसर में पेड़ों के साथ एक खुली भूमि है।
- **पश्चिमः** इस दिशा में खुले मैदान के टुकड़े जिनमें पेड़-पौधे हैं। इसके अलावा, उत्तर-पश्चिम दिशा में पेड़ों के साथ अनिर्मित भूमि के रूप में कुछ खुली जगह और एक खुला मैदान भी मौजूद है।

5.1.4 परिसंचरण के अंर्तनिहित आवृत्त क्षेत्र सड़कें -, पैदलपथ आदि।

स्मारक की प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों सीमाओं में, कई सड़कें और नगर की सड़कें हैं जो परिधि क्षेत्र में और नगर के अन्य हिस्सों के साथ संपर्कता प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग-35 (एनएच-35) भी प्रतिबंधित क्षेत्र की दक्षिण दिशा से तथा विनियमित क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा से गुजरता है। इसके अलावा, कुछ प्रमुख सड़क चौराहे जैसे - "कोतवाली चौराहा और उतार खाना चौराहा" भी विनियमित क्षेत्र में मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग -35 (NH 35) के साथ विभिन्न नगर की सड़कों के लिए चौराहा प्रदान करते हैं।

5.1.5 भवनों की ऊंचाई (क्षेत्र-वार):

- **उत्तर और उत्तर-पूर्व**: अधिकतम ऊंचाई 10.0 मीटर है।
- **दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम**: अधिकतम ऊंचाई 10.0 मीटर है।
- **पूर्व और दक्षिण-पूर्व**: अधिकतम ऊंचाई 10.0 मीटर है।
- **पश्चिम और उत्तर-पश्चिम**: अधिकतम ऊंचाई 10.0 मीटर है।

5.1.6 प्रतिषिद्ध / विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत राज्य द्वारा संरक्षित स्मारक और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों :

इस केंद्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में कोई राज्य संरक्षित स्मारक या कोई अन्य स्थानीय निकाय संरक्षित स्मारक नहीं है।

5.1.7 सार्वजनिक सुविधाएं :

स्मारक पर सुरक्षा सूचना पटल(पीएनबी), सांस्कृतिक सूचना पटल (सीएनबी), पीने के पानी की सुविधा और सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध हैं।

5.1.8 स्मारक तक पहुंच :

स्मारक तक दक्षिण-पश्चिम दिशा में मौजूद एक संकरी सड़क से इसके प्रवेश बिंदु तक पहुँचा जा सकता है। आगे वही सड़क दूसरी ओर फैली हुई है और 140 मीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग - 35 (NH-35) से जुड़ती है

5.1.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जलापूर्ति, वर्षाजल निकास तंत्र, जलमल निकासी-, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि)

स्मारक पर कोई आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

5.1.10 स्थानीय निकायों के दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण :

किसी भी वर्तमान स्थानीय विकास निकाय द्वारा प्रस्तावित कोई विशिष्ट क्षेत्रीकरण नहीं है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त खण्ड विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपपद्धति - 2008; संशोधित 2016 (धारा 1.1.1, 1.1.2 और 1.2.1 क्रमशः) "उत्तर प्रदेश नगरपालिका योजना और विकास अधिनियम - 1973" के तहत परिभाषित।

अध्याय VI

स्मारकों का वास्तु, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.0 वास्तु, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

नुकीले और स्मारक स्तंभ शीर्ष के साथ मौजूद संरचना डिजाइन जैसे विशिष्ट स्तम्भ के कारण स्मारक एक वास्तुशिल्पीय महत्व है।

6.1 स्मारक की संवेदनशीलता (उदाहरणार्थ विकासात्मक दबाव, नगरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि):

स्मारक विशेष रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र और पूरे विनियमित क्षेत्र दोनों के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में विद्यमान आधुनिक निर्माणों के एक घने भूखंड में स्थित है। जबकि, प्रतिषिद्ध क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण-पूर्व दिशा में, और उत्तर में, उत्तर-पूर्व के साथ-साथ विनियमित क्षेत्र के पूर्व, दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशाओं के कुछ हिस्सों में कुछ खुले स्थान खेती की भूमि, खेल का मैदान और अनिर्मित भूमि के रूप में विद्यमान हैं। इसके अलावा, नगर मे चल रहे नगरीकरण के कारण, प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्र निर्माण और विकास गतिविधियों के माध्यम से अतिक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं।

6.2 संरक्षित स्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

स्मारक स्पष्ट रूप से प्रतिषिद्ध क्षेत्र के उत्तर, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व दिशाओं से दिखाई देता है, और खुली भूमि की उपस्थिति के कारण विनियमित क्षेत्र के उत्तर और

उत्तर-पश्चिम दिशा से भी दिखाई देता है। अन्यथा, प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों की शेष दिशाओं से, आधुनिक भवनों/संरचनाओं के कारण इसकी दृश्यता पूरी तरह से दिखाई नहीं देती है।

6.3 भूमि उपयोग की पहचान :

प्रतिषिद्ध क्षेत्र के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में तथा पूरे विनियमित क्षेत्र में भूमि का अधिकांश उपयोग आवासीय और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके अलावा, कई सार्वजनिक संरचनाऐं जैसे मंदिर, मस्जिद, मदरसा, सरकारी कार्यालय/विभाग, कॉलेज, शैक्षिक अकादमी, अस्पताल, क्लीनिक, होटल, गेस्ट हाउस आदि भी उसी दिशा में चारों ओर विस्तीर्ण हैं। इसके अलावा, प्रतिषिद्ध क्षेत्र के उत्तर दिशा में और विनियमित क्षेत्र के उत्तर-पूर्व और पूर्व दिशाओं में खुली भूमि के कुछ भूखंड भी कृषि कार्यो के लिए उपयोग किए जाते हैं।

6.4 संरक्षित स्मारक के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष :

स्मारक की संरक्षित सीमा से सटे प्रतिषिद्ध क्षेत्र के उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशाओं में कुछ पुराने कब्रिस्तान स्थित हैं।

6.5 सांस्कृतिक परिदृश्य :

प्रतिषिद्ध क्षेत्र के उत्तर दिशा में स्थित खेती की खुली भूमि, और विनियमित क्षेत्र के उत्तर-पूर्व और पूर्व दिशाओं में स्मारक के सांस्कृतिक परिदृश्य का एक हिस्सा है। इसके अलावा, पेड़ों के साथ मौजूद अन्य खुले असंरचित भूखंड, विशेष रूप से प्रतिषिद्ध क्षेत्र के उत्तर-पूर्व, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में, और उत्तर-पूर्व, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में, प्रतिषिद्ध क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम दिशा में मौजूद खुले निचले क्षेत्र के साथ, हमारे स्मारक में एक प्राकृतिक परिदृश्य जोड़ते है। इसके अलावा, शेष दिशाओं में स्मारक का प्राकृतिक परिदृश्य पूरी तरह से नष्ट हो गया है।

6.6. महत्वपूर्ण प्राकृतिक भू-दृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा है और पर्यावरण प्रदूषण से स्मारकों को संरक्षित करने में भी सहायक है:

प्राकृतिक पृष्ठभूमि के रूप में मौजूद खेती की खुली भूमि, हमारे स्मारक को एक प्राकृतिक वातावरण प्रदान करती है। अन्यथा, विनियमित और प्रतिषिद्ध क्षेत्रों के दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में मौजूद खुली बंजर भूमि, जो घने पेड़ों से ढकी हुई है, स्थानीय बस्ती को रोकती है और इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण से स्मारक की रक्षा करती है।

6.7 खुले स्थान और भवनों का उपयोग:

प्रतिबंधित क्षेत्र के उत्तर दिशा में तथा विनियमित क्षेत्र के पूर्व एवं उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित खुले स्थान का उपयोग कृषि कार्यो के लिए किया जाता है। इसके अलावा, अन्य खुले स्थान या तो अनिर्मित भूमि के रूप में मौजूद हैं जिनमें पेड़ हैं या पार्किंग और परिसंचरण उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जाता है। विनियमित क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम दिशा में एक खुला मैदान भी खेल और मनोरंजक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। अन्यथा, निर्मित भवनों और संरचनाओं का अधिकतर आवासीय और व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, आसपास कई सार्वजनिक भवन और धार्मिक संरचनाएं भी हैं।

6.8 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियॉ:

इस प्रकार स्मारक के परिसर और न ही स्मारक के प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्रों में आज तक कोई पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियॉ नही होती हैं।

6.9 स्मारक और विनियमित क्षेत्रों में से दिखाई देने वाला क्षितिज:

चूंकि, कब्रिस्तान में संरचनाएं बहुत ऊंची नहीं हैं, वे आसपास के क्षेत्रों की तुलना में क्षितिज में दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन, कब्रिस्तान की चारदीवारी और इसके परिसर में मौजूद अन्य संरचनाएं प्रतिषिद्ध क्षेत्र के उत्तर, उत्तर पश्चिम और दक्षिण-पूर्व दिशा और विनियमित क्षेत्र के उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशाओं से दिखाई देती हैं।

6.10 पारंपरिक वास्तुकला:

विनियमित क्षेत्र के उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम दिशाओं में कुछ झोपड़ी शैली की संरचनाएँ हैं।

6.11 स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना:

उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले के लिए एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विकसित किया है। लेकिन वर्तमान में विकास योजना की कोई छवि सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में उपलब्ध नहीं है।

6.12 भवन संबंधी मापदंड :

(क) स्थल पर निर्मित भवन की ऊंचाई छत के ऊपरी भाग की संरचना जैसे)ममटी, मुंडेर आदि सहित

स्मारक के विनियमित क्षेत्र में सभी भवनों की ऊंचाई (_) (सभी समावेशी) तक सीमित रहेगी।

(ख) तल क्षेत्र : लगभग 20 वर्गमीटर से 2800 वर्गमीटर।

(ग) उपयोग : भूमि का उपयोग ज्यादातर आवासीय और वाणिज्यिक है, इसके अलावा कुछ सार्वजनिक / सरकारी और धार्मिक संरचनाओं के साथ-साथ कॉलेज, शैक्षिक अकादमी, स्कूल और स्थानीय शासकीय प्राधिकरणों के कार्यालय भी प्रतिबंधित और विनियमित दोनों क्षेत्रों में स्मारक मौजूद हैं। इसके अलावा, खुली भूमि का उपयोग खेती, खेल और मनोरंजक गतिविधियों के लिए किया जाता है। अन्यथा भविष्य में, निर्माण स्मारक की प्रामाणिकता को प्रभावित या बाधा उत्पन्न कर सकता है।

(घ)अग्रभाग का डिजाइन

वर्तमान में, विद्यमान संरचनाऐं आधुनिक अग्रभाग वाली वर्तमान शैलियों में निर्मित है। नतीजतन, भविष्य में नए निर्माण, स्मारक के सौंदर्य को प्रभावित कर सकता है।

(ड.)छत का डिजाइन :

वर्तमान में, विद्यमान इमारतों और संरचनाओं में मुंडेर और छज्जे के साथ-साथ सपाट छतों और पेन्ट शैली की छतों का उपयोग किया जाता है। आगे भविष्य में, स्मारक की प्रामाणिकता को प्रभावित किए बिना उसी प्रतिरूप/शैलियों की अनुमति दी जा सकती है।

(च)भवन निर्माण सामग्री:

वर्तमान संरचनाओं में सीमेंट, ईंट, पत्थर आदि का उपयोग किया जाता है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री हैं। अन्यथा भविष्य में, निर्माण के लिए अनुकूल सामग्री को स्मारक के सौंदर्य के अनुरूप होना चाहिए।

(छ) रंग:- मौजूदा इमारतों के परिष्करण और रचना के लिए कई तरह के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे भविष्य में, अग्रभाग के परिष्करण के लिए उपयोग किए जाने वाले रंगों/बनावटों को स्मारक की दृष्टि से विपरीत नहीं होना चाहिए।

6.13 आगंतुक सुविधाएं और साधन

स्मारक पर कोई आगंतुक सुविधाएं और साधन उपलब्ध नहीं हैं।

अध्याय VII

स्थल विशिष्ट संस्तुतियां

7.1 स्थल विशिष्ट संस्तुतियां

क) इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सेटबैक) :-

- सामने के भवन का किनारा, मौजूदा गली की साइड की सीध में ही होना चाहिए। इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक) अथवा आंतरिक प्रांगणों या छतों पर न्यूनतम खुली जगह की अपेक्षाओं को पूरा किया जाना जरूरी है।

ख) निमार्ण को आगे बढ़ाने हेतु अनुमति (प्रोजेक्शन)

- सड़क के बाधा'रहित 'रास्ते से आगे भूमि स्तर पर रास्ते की दायीं तरफ में किसी सीढ़ी और पीठिका (प्लिंथ) की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलियों को मौजूदा भवन के किनारे की साइड से माप कर 'बाधा रहित' मार्ग के आयामों (लंबाई चौडाई) से जोड़ा जाएगा।

ग) संकेतक

- धरोहर क्षेत्र में साईनेज (सूचनापट्ट) के लिए एलअथवा डिजिटल चिहनों अथवा .डी.ई. धिक परावर्तक रासायनिक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग नहीं किया अत्यकिसी अन्य सकता। बैनर की अनुमति नहीं दी जा सकती जा, किंतु विशेष आयोजनोंमेलों आदि / तीन से अधिक दिन तक नहीं लगाया जा सकता है। धरोहर क्षेत्र के के लिए इन्हें भीतर पट विज्ञापन(होर्डिंग), पर्चे के रूप में कोई विज्ञापन अनुमत नहीं होगा।
- संकेतक को इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि वे धरोहर संरचना या स्मारक को देखने में बाधा न बने और पदयात्री के चलने की दिशा में लगे हों।
- स्मारक की परिधि में फेरीवालों और विक्रेता को खड़े होने की अनुमति न दी जाए।

7.2 अन्य संस्तुतियां:

- व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
- दिव्यांगजन विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार के लिए व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसीमा के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश को लिंक https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf में देखा जा सकता है।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument **""City Cemetery , Karwi , District Chitrakoot, Uttar Pradesh"**, prepared by the Competent Authority and in consultation with the Indian National Trust for Culture, are hereby published as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members ofAuthority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or email at helpdesk.nma@gmail.com within thirty days of publication of the notification;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye- Laws
CHAPTER I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencements: -

(i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws 2020 of Centrally Protected Monument "City Cemetery , Karwi , District Chitrakoot, Uttar Pradesh

(ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.

(iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

Definitions: -

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires,

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) The remains of an ancient monument,

(ii) The site of an ancient monument,

(iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) The means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act,1958 (24 of 1958);

(d) "archaeological officer" means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Governmentor equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) "Government" means The Government of India;

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(k) "owner" includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himselfand other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and

(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) "preservation" means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.

(m) "prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;

(n) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p) "regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B;

(q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

(2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958

2. **Background of the Act: -**The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** thearea beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

Provision of the Act related to Heritage Bye-laws: The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

Rights and Responsibilities of Applicant: The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out constructionor re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of the Centrally Protected Monument - City Cemetery, Karwi, In Karwi Village & Tehsil - Karwi, District Chitrakoot, Uttar Pradesh

3.0 Location and Setting of the Monument :

- It is situated at GPS Coordinates: **Latitude:** 25°12'52.20"N; **Long**: 80°54'36.26"E.
- Earlier, when monument was notified in 1920, the monumental site formed a part of Karwi Tehsil of Banda district.
- But later on in 1997, Uttar Pradesh government created a new district from this old Banda district, named as - Chitrakoot. Therefore, now the monument comes under Chitrakoot district and it is situatedin the west direction of Chitrakoot Dham (Karwi) city of the samedistrict.
- Inside the city, the monument is located in Purani Bazar locality and nearest railway station is Chitrakoot dham Karwi Railway Station, located within the same city, at a distance of 1.9kms (via Railway station road, Shankar Bazar/Kotwali road, Pandey Colony Road, National Highway - 35 [NH-35] and road towards Noorani Masjid).
- The nearest airport is Chitrakoot Airport, which is under construction at Siddhpur town(23km away) of Chitrakoot district.
- Apart from this, visitors can likewise land at another airport terminal-Allahabad Airport Prayagraj city, and from there, one can reach the monument by covering a distance of117kms (via ITBP road, Airport road, Veer Path, Kanpur - Allahabad highway/Grand Trunk road, Bharwari Bypass road, State Highway - 94 [SH-94], Major District Road - 26B [MRD-26], National Highway - 35 [NH-35] and road towards Noorani Masjid.

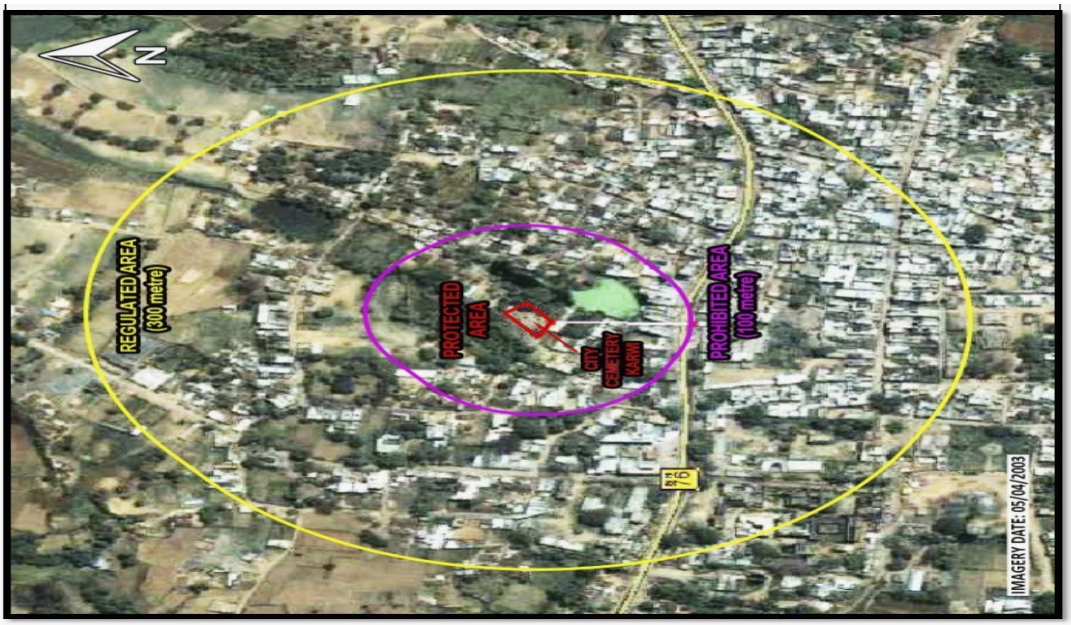

Google map showing location of City Cemetery, Karwi, In Karwi, Village & Tehsil - Karwi,District -Chitrakoot, Uttar Pradesh.

3.1 Protected boundary of the Monument:

The protected boundary of City Cemetery, Karwi, In Karwi, Village & Tehsil - Karwi, District - Chitrakoot, Uttar Pradesh at **Annexure-I.**

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

The copy of Gazette Notification of City Cemetery, Karwi, In Karwi, Village & Tehsil -Karwi, District - Chitrakoot, Uttar Pradesh may be seen at **Annexure-II.**

3.2 History of the Monument/Site:

City cemetery, Karwi is a small cemetery which contains few graves dated 1906 ce onward.

3.3 Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.):

The City cemetery, Karwi is a located within a boundary wall, made of Lakhauri bricks. Some graves also bear inscriptions on their cenotaphs. The general architecture is post like structure design with pointed and obelisk top. All the cemeteries are enclosed by boundary wall matching with the site

3.4 Current Status

3.4.1Condition of Monument- condition assessment:

The monument is in a good state of preservation

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The average footfall at the monument is about 20-25 visitors per day.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.0Existing Zoning if any in the local area development plans:

There is no zoning made in any local area development plan.

4.1 Existing Guidelines of the local bodies:

It may be seen at **Annexure-III.**

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of Indiarecords.

5.0 Contour Plan of City Cemetery, Karwi, In Karwi, Village & Tehsil - Karwi, District Chitrakoot, Uttar Pradesh:

Survey Plan of City Cemetery, Karwi, In Karwi, Village & Tehsil - Karwi, District -Chitrakoot, Uttar Pradeshmay be seen at **Annexure- IV.**

5.1 Analysis of surveyed data:

5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

- Protected Area (approx.) : 586.79418 Sqm (0.145 Acres).
- Prohibited Area (approx.) : 41253.65437 Sqm (10.194 Acres).
- Regulated Area (approx.) : 270997.7403 Sqm (66.965 Acres).

Salient Features:

- The monument is encompassed by present day modern structures existing in its boththe prohibited and Regulated Areas.
- The usage of the built up is mostly residential and commercial. Moreover, many public structures, such as schools, temples, mosques, Madarsa, educational academy, college, hospital, government offices/departments, restaurants, food kiosks, guest house, hotels etc are also present scattered all over the surroundings. Further, some open spaces in form of cultivation land, playground, unconstructed land with trees and a low lying area which gets filled with water are also present near the monument.
- Additionally, many city roads including a national highway are also present running all around the Prohibited and Regulated Areas of the monument, providing good connectivity in the circumventing area and with other parts of the city.

5.1.2 Description of built up area:

<u>Prohibited Area</u>

- **North:** No structures are present in this direction. Apart, some residences, shops, a Temple and a well are present in north-east direction.
- **South:** No structures are present in this direction. Apart, some residences, shops, aTemple and a well are present in north-east direction.
- **East:** No structures are present in this direction. Apart, some residences, shops, aTemple and a well are present in north-east direction.
- **West:** No structures are present in this direction. Apart, some residences, shops, aTemple and a well are present in north-east direction.

Regulated Area

- **North:** Residences, shops, a play school, private office, police station and a hand pump are present in this direction. Whereas, some residences, shops, rural hut style structures, temple, Dargah, Madarsa and a cemetery are also present in thenorth-east direction.
- **South:** Residences, shops, communication towers, restaurants, hotel, bank, hand, pump, clinic, a temple and a mosque are present in this direction. Moreover ,in the south-west direction, many residences, shops, school, bank, department of U.P. Excise, Nagar Palika office, Kisan Seva Kendra, temple and a petrol pump also present.
- **East:** Residences, shops, G.P.O. office, school, temple, mosque and a well are present in this direction. Further, some residences, shops, food kiosks, private office, educational academy, a Vedic clinic and temple are also present in the south-east direction.
- **West:** Residences, shops, Irrigation Department, Kisan Kendra, Bank, old district hospital, bank, pathology lab and a temple are present in thisdirection. moreover, some residences, shops and rural style hut structure sare also present in the north west direction.

5.1.3 Description of green/open spaces:

Prohibited Area

- **North:** Open cultivation land and unconstructed patch of land are present in this direction. Further an open unconstructed path of land with some trees also present in north-east direction.
- **South:** A low lying open area which gets filled with water sometimes along with some trees is present in this direction. Further, a small patch of open unconstructed land is also present in the south-west direction.
- **East:** Some small unconstructed patch of land are present in this direction. Moreover, open land forming a part of a low lying area which gets filled with water is also presentin the south-east.
- **West:** Small unconstructed patch of lands lying in between of existing structures are present in this direction. Further, open cultivation land and unconstructed patch of land having trees are also present in the south west direction.

Regulated Area

- **North:** Good amount of open patches of unconstructed land lying in between existing structures are present in this direction. Further, an open land with trees lying at the premises of a graveyard, a water stream in a form of Nala and open cultivation landare also present in the north-east direction.
- **South:** Open land with trees forming a part of C.M.O. office is present in the outskirt of this direction. Apart, some open land with trees and another occupied for parking purpose are also present in the south-west direction.
- **East:** An open land with trees lying at the premises of a graveyard, cultivation land anda water pond are present in this direction.
- **West:** Patches of open land having trees are present in this direction. Moreover, some

open spaces in form of unconstructed land with trees and an open ground are also present in the north-west direction.

5.1.4 Area covered under circulation -roads, footpaths etc:

In both Prohibited and Regulated limits of the monument, numerous streets and city road sare present providing connectivity in the circumventing area and with the other parts of the city. Further, National Highway - 35 (NH-35) also passes from south direction of the Prohibited Area and from south-east & south-west directions of the Regulated Area. Apart, some major road intersections such as - "Kotwali Chauraha and Utaar Khana Chauraha" are also present in the Regulated Area, providing intersection forvarious city roads with the National Highway - 35 (NH 35).

5.1.5 Heights of buildings (Zone wise):

- **North & North-east:** The maximum height is 10.0 m.
- **South & South-west:** The maximum height is 10.0 m.
- **East & South-east:** The maximum height is 10.0 m.
- **West & North-west:** The maximum height is 10.0 m.

5.1.6 State protected monument and listed heritage building by local authorities if Available within Prohibited/Regulated:

There is no state protected monument or any other local body protected monument present in the Prohibited and Regulated Area of this Centrally Protected Monument.

5.1.7 Public amenities:

Protection Notice Board (PNB), Cultural Notice Board (CNB), drinking water facility and public toilets are available at the monument.

5.1.8 Access to monument:

The monument is accessed by a narrow road present in south-west direction, uptoits entry point. Further, the same road extends on other side and gets connected to national highway - 35 (NH-35), at a distance of 140m

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid Waste management, parking etc.):

No infrastructural facilities are available at the monument.

5.1.10 Proposed zoning of the area:

There is no specific zoning proposed by any of the current local development bodies. Apart, the above mentioned clauses are taken from the Development Authority Building Construction and Development sub method - 2008; Revised 2016 (clause 1.1.1, 1.1.2 and 1.2.1 respectively) defined under the "Uttar Pradesh municipalplanning and development act - 1973"

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monuments.

6.0 Architectural, historical and archaeological value of the monuments:

The monument hold an architectural value due to the typical post like structure design existing with pointed and obelisk top.

6.1 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population pressure, etc.)

The monument stands exposed to a dense patch of modern constructions existing especiallyin east, west and south directions of both the Prohibited Area, and throughout the Regulated Area. Whereas, in the north and south-east direction of the Prohibited Area, and in the north, north-east along with some parts of east, south-west and north-west directions of the Regulated Area, there are some open spaces existing in form of cultivation land, playground and unconstructed land.

Further, due to the ongoing urbanization of the city, both the Prohibited and the Regulated Areas have become more sensitive towards encroachment by way of construction and development activities.

6.2 Visibility from the protected monument or area and visibility from Regulated Area:

The monument is clearly visible from the north, north-west and south-east directions of the Prohibited Area, and also visible from the north and north-west direction of the Regulated Area due to the presence of open land. Else, from the remaining directions of both the prohibited and Regulated Areas, its visibility is completely lost due to the existing modern buildings/structures.

6.3 Land use to be identified:

In the east, west and south directions of the Prohibited Area and in throughout the Regulated Area, the land is mostly used for residential and commercial purposes. In addition, many public structures such as temples, mosques, Madarsa, government offices/departments, colleges, educational academy, hospitals, clinics, hotels, guest house etc. are also present scattered all around, in the same directions. Further, some patches of open land in the north direction of prohibited area and in the north-east and east directions of the Regulated Area is also used for cultivation purposes.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument:

Some old cemeteries are present in the north and north-west directions of the Prohibited Area, adjacent to protected boundary of the monument.

6.5 Cultural landscapes:

Open cultivation land present in the north direction of the Prohibited Area, and in the north- east and east directions of the Regulated Area forms a part of cultural landscape of monument. In addition, the other open unconstructed patch of land existing with trees, especially in the north-east, south and south-west directions of the Prohibited Area, and in the north-east, west, north-west and south-west directions, along with the open low lying area present at the south-west direction of Prohibited

Area, add a natural setting to our monument. Apart, in the remaining directions the natural setting of the monument is completely lost.

6.6 Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps inprotecting monument from environmental pollution:

Open cultivation land present as a natural backdrop, provide a natural environment to our monument. Else, the open barren land existing in the south, south-east and south-west directions of the regulated and Prohibited Areas, which are densely covered by trees prevents local settlement thus protecting monument from environmental pollution.

6.7 Usage of open space and constructions:

The open spaces present in the north direction of the Prohibited Area and in the east and north-east directions of the Regulated Area are used for cultivation activities. Further, other open spaces are either present in form of unconstructed land having trees or also utilised for parking and circulation purposes. An open ground in the north-west direction of the regulated are is also used for sports and recreational activities. Else, the constructed buildings and structures are mostly under residential and commercial use. In addition, many public buildings and religious structures are also present in the surroundings.

6.8 Traditional, historical and cultural activities:

As such no traditional, historical and cultural activities are followed till date at the monument's premises and neither in the prohibited and the Regulated Areas of the monument.

6.9 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

Since, the structures at the cemetery are not very high, they are not visible in the skyline when compared with the surrounding areas. But, the boundary wall of the cemetery and other structures present in its premises are visible from north, north west and south-east direction of the Prohibited Area and from the north and north west directions of the Regulated Area.

6.10 Traditional Architecture:

Some hut style structures are present in the north-east and north-west directions of the Regulated Area.

6.11 Development plan as available by the local authorities.

Uttar Pradesh Government has developed a special area development authority for Chitrakoot district. But at present, no image of development plan is available in public domain.

6.12 Building related parameters:

a) **Height of the construction on the site (including rooftop structures like mumty,parapet, etc):** The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to **(_)** (all inclusive).

b) **Floor area:** Approx. 20 Sqm. to 2800 Sqm.

c) **Usage:** The land use is mostly residential and commercial, apart some public/governmentand religious structures along with college, educational academy, schools and office of local governing authorities are also present in both the prohibited and Regulated Areas of the monument. Further, the open land is used for cultivation, sports and recreational activities. Else in future, the construction should not affect or disturb the authenticity of themonument.

d) **Façade design:** Presently, the subsisting structures are worked in current day styles having modern facades. Consequently in future, the facades of new constructions should not affect the aesthetics of the monument.

e) **Roof design:** At present, flat roofs and pent style roofs along with parapets and chajjas are mostly used in the existing buildings and structures. Further in future, the same pattern/styles can be allowed without affecting the authenticity of the monument.

f) **Building material:** Cement, bricks, stones and so forth are utilized in the current structures which are the locally available materials. Else in future, the materials favored for construction should go along the aesthetics of the monument.

g) **Color:** Varieties of colors are used for finishing and designing of existing buildings. Further in future, shades/textures used for façade finishing, should not contrast the monument visually.

6.13. Visitor facilities and amenities.

No visitor facilities and amenities are available at the monument.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations.

a) Setbacks

- The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections

- No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the 'obstruction free' path of the street. The streets shall be provided with the 'obstruction free' path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages

- LED or digital signs ,plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted; but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of anyheritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.

7.2 Other recommendations

- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may bereferred at https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf

अनुलग्नक

ANNEXURES

अनुलग्नक-I
ANNEXURE - I

नगर कब्रिस्तान, कर्वी, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के लिए संरक्षित, प्रतिषिद्ध एवं विनियमित सीमाओं की संरक्षित सीमा को दर्शाने वाली स्थल योजना

Site plan showingProtected boundaryof Protected, Prohibited and Regulated boundaries for City Cemetery, Karwi, In Village & Tehsil - Karwi, District - Chitrakoot, Uttar Pradesh.

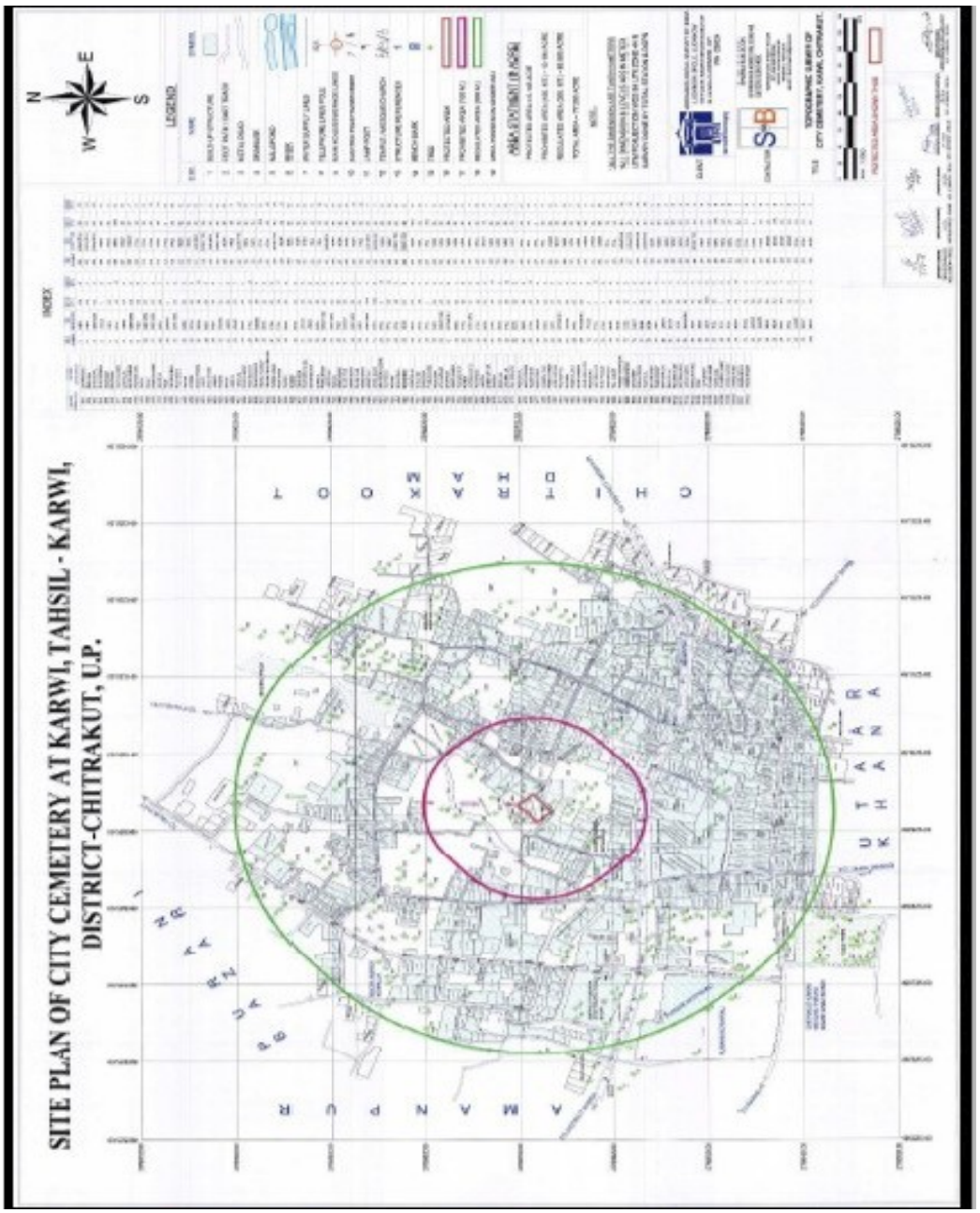

अनुलग्नक- II
ANNEXURE – II

भा.पु.स. के रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र-संरक्षित सीमाओं की परिभाषा

मूल अधिसूचना

Notification map as per ASI records-definition of Protection Boundaries Original Notification

Government of United Provinces
Public Works Department
Buildings and Roads Branch

Dated Allahabad, the 22nd December. 1920

No. 1645-M/1133.- In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor is hereby pleased to confirm this department notification no. 1412M, dated the 18th November, 1920, published at pages 1951-1885 of Part I of the United Provinces Gazette, dated the 20th November, 1920, so far as it relates to the undermentioned monuments and to direct that the protection of the remaining monuments is not confirmed as they are either already protected monuments or their protection is not considered necessary.

By order,

A.C. Verrieres,
Secretary to Government, United Provinces.

Sl. No.	Name of Monuments	Situation. District.	Locality.	Village.	Tahsil.	Pargana.	Bounded by
16.	City Cemetery, Karwi.	Banda.	In Karwi.	Karwi	Karwi.	Karwi.	
17.	Closed Cemetery, Bargarh.	Do.	In Bargarh.	Bargarh.	Mau	Mau.	
18.	Open Cemetery at Kalu Kuan.	Do.	At Kalu Kuan, north of Banda City.	Banda.	Banda	Banda.	
19.	Open Cemetery at Karwi.	Do.	Half a mile, north of Karwi.	Karwi.	Karwi.	Karwi.	
20.	Jami Masjid.	Do.	East of Banda City, near hospital.	Banda.	Banda.	Banda	

Government of United Provinces

Public Work Department

Buildings and Roads Branch

Dated Allahabad, the 22nd December, 1920.

No. 1645-M/1133. - In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act (VII of 1904), His Honor the Lieutenant Governor is hereby pleased to conform this department notification no. 1412M, dated the 18th November, 1920, published at pages 1851-1885 of part I of the United Provinces Gazette, dated the 20th November, 1920, so far as it relates to the under mentioned monuments and to direct that the protection of the remaining monuments is not confirmed as they are either already protected monuments or their protection is not considered necessary.

By order,

A.C. Verrieres,
Secretary to Government, United Provinces

Sr. No. Name of Monuments Tahsil Pargana Situation

16. City Cemetery, Karwi.

.**District Locality Village**

Banda InKarwi. Karwi.Karwi.Karwi. Do.

17. Closed Cemetery, Bargarh.

18. Open Cemetery at

InBargarh. Bargarh.Mau.Mau.

Karwi. Karwi.

KaluKuan. Do. At KaluKuan, north

19. Open Cemetery at of Banda City.

Do. Half a mile, north of

20. Jami Masjid. Do. East of Banda City,near hospital.

Banda.Banda. Ban

Banda.Banda.Banda.Karwi.

Karwi.Karwi.

अनुलग्नक- III
ANNEXURE – III

स्थानीय निकाय दिशानिर्देश

स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशा-निर्देश/स्थिति आवासीय भवनों के लिए इमारत के चारो ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सेटबैक) (उप खंड - 3.4.1) अधिकतम अनुमत ऊंचाई 12.5 मीटर (शहतीर /पॉबासा तल के साथ) और 10.5 मीटर (शहतीर /पॉबासा के बिना) है:

तालिका 1

विशिष्टता प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मीटर)	भूखंड क्षेत्र (वर्ग मीटर)	सामने का हाशिया	पीछे का हाशिया	पार्श्व 1 का हाशिया	पार्श्व 2 का हाशिया
पंक्तिबद्ध आवास	50 तक	1.0	-	-	-
	50 से 100	1.5	1.5	-	-
	100 से 150	2.0	2.0	-	-
	150 से 300	3.0	3.0	-	-
अर्द्ध पृथक	300 से 500	4.5	4.5	3.0	-
पृथक	500 से 1000	6.0	6.0	3.0	1.5
	1000 से 1500	9.0	6.0	4.5	3.0
	1500 से 2000	9.0	6.0	6.0	6.0

⇒वाणिज्यिक/आधिकारिक भवनों के लिए सेटबैक (उप-खंड - 3.4.2 (I)), 15 मीटर तक की ऊंचाई के साथ:

तालिका 2

वर्गमीटर में भूमि का क्षेत्रफल	सेट बैक (मीटर में)			
	सामने	पिछला	पार्श्व 1	पार्श्व 2
200 तक	3.0	3.0	-	-
201 - 500	4.5	3.0	3.0	3.0
501 से अधिक	6.0	3.0	3.0	3.0

⇒ शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर संस्थागत/सामुदायिक सुविधाओं के लिए सेटबैक (उप-खंड - 3.4.2 (II)), 12.5 मीटर तक की ऊंचाई के साथ:

तालिका 3

वर्गमीटर में भूमि का क्षेत्रफल	सेट बैक (मीटर में)			
	सामने	पिछला	पार्श्व 1	पार्श्व 2
200 तक	3.0	3.0	-	-
201 – 500	6.0	3.0	3.0	-
501 – 2000	9.0	3.0	3.0	3.0
2001 – 4000	9.0	4.0	3.0	3.0
4001 – 30000	9.0	6.0	4.5	4.5
30000 से अधिक	15.0	9.0	9.0	9.0

शैक्षिक संस्थानों के लिए सेटबैक (उप-खंड - 3.4.3), अधिकतम अनुमत ऊंचाई 10.5 मीटर के साथ:

तालिका 4

वर्गमीटर में भूमि का क्षेत्रफल।	सेट बैक (मीटर में)			
	सामने	पिछला	पार्श्व 1	पार्श्व 2

500 तक	6.0	3.0	3.0	-
500 – 2000	9.0	3.0	3.0	3.0
2001 – 4000	9.0	4.0	3.0	3.0
4001 – 30000	9.0	6.0	4.5	4.5
30000 से अधिक	15.0	9.0	9.0	9.0

⇒12.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन के लिए सेटबैक (उप-अनुभाग - 3.4.5):

तालिका 5

भवन की ऊंचाई (मीटर)	**भवन के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सेटबैक) मीटर**
12.5 से 15	5.0
15 से 18	6.0
18 से 21	7.0
21 से 24	8.0
24 से 27	9.0
27 से 30	10.0
30 से 35	11.0
35 से 40	12.0
40 से 45	13.0
45 से 50	14.0
50 से 55	15.0
55 से ऊपर	16.0

⇒ विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग के लिए भूमि आवृत्त (ग्राउंड कवरेज) और तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)/ तल स्थान अनुपात (एफएसआई) (उप-खंड - 3.5.1):

तालिका 6

क्रमांक	भूमि उपयोग	भूमि आवृत्त (ग्राउंड कवरेज) % में	तल क्षेत्र अनुपात
1.	**आवासीय प्लॉट किया गया**		
ए	निर्मित/विकसित क्षेत्र		
	100 वर्गमीटर तक	75	2.00
	101-300 वर्गमीटर	65	1.75
	301-500 वर्गमीटर	55	1.50
	501-2000 वर्गमीटर	45	1.25
बी	नया/अविकसित क्षेत्र		
	100 वर्गमीटर तक	75	2.00
	101-300 वर्गमीटर	65	1.75
	301-500 वर्गमीटर	55	1.50
	501-2000 वर्गमीटर	45	1.25
2.	वाणिज्यिक		
ए	निर्मित/विकसित क्षेत्र:		
	• सिटी सेंटर/सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट	45	2.00
	• सब-सिटी सेंटर/सब-सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट	50	1.75
	• अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र	60	1.50
बी	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• सिटी सेंटर/सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट	40	3.00
	• सब-सिटी सेंटर/सब-सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट	45	2.50
	• अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र	50	1.75

3.	आधिकारिक		
	• निर्मित क्षेत्र	50	1.50
	• विकसित क्षेत्र	45	2.00
	• नया/अविकसित क्षेत्र	40	2.50
4.	शिक्षात्मक		
	निर्मित/विकासशील क्षेत्र		
	• प्राथमिक या नर्सरी स्कूल	35	1.00
	• हाई स्कूल / इंटरमीडिएट / उच्च संस्थान	30	1.00
बी	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• नर्सरी स्कूल/प्राथमिक स्कूल	40	1.20
	• हाई स्कूल / इंटरमीडिएट	35	1.20
	• डिग्री कॉलेज	35	1.50
	• तकनीकी / प्रबंधन संस्थान	35	2.00
5	सामुदायिक और संस्थागत सुविधाएं		
ए	निर्मित / विकसित क्षेत्र		
बी	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• कम्युनिटी हॉल, मैरिज हॉल और धार्मिक भवन	40	1.50
	• अन्य संस्थान	30	2.00
6.	• होटल		
	• निर्मित/विकसित क्षेत्र	40	2.00
	• नया/अविकसित क्षेत्र	40	2.50
7.	अस्पताल		
ए	निर्मित / विकसित क्षेत्र		
	क्लिनिक/डिस्पेंसरी	35	1.50
	50 बिस्तरों वाला नर्सिंग होम	35	1.50
	50 से अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	35	1.50

बी	नया/अविकसित क्षेत्र		
	क्लिनिक/डिस्पेंसरी	40	1.50
	50 बिस्तरों वाला नर्सिंग होम	35	1.50
	50-100 बिस्तर वाले अस्पताल	30	2.00
	100 से अधिक बिस्तर वाले अस्पताल	30	2.50
8.	खुला क्षेत्र		
	• निर्मित/विकसित क्षेत्र	2.5	0.025
	• नया/अविकसित क्षेत्र	2.5	0.025

निम्नतल निर्माण के लिए विनिर्देश (उप-खंड - 3.9.1, 3.9.2 और 3.9.3):

- निम्नतल का उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। साथ ही निम्नतल (बेसमेंट) में शौचालय और रसोई घर बनाने की अनुमति नहीं है।
- भीतरी आंगन और शाफ्ट के नीचे बेसमेंट की अनुमति है। बेसमेंट का निर्माण संरचना के मूल्यांकन के बाद ही किया जायेगा. आस-पास की संपत्ति उस संपत्ति से 2 मीटर दूर होनी चाहिए जहां बेसमेंट का निर्माण किया जाना है।
- फर्श और बीम के तल के बीच की दूरी 2.1 मीटर - 4.5 मीटर ऊंचाई के बीच होनी चाहिए।

विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए बेसमेंट का निर्माण तदनुसार होना चाहिए:

क्रमिक संख्या	**भूमि क्षेत्र (वर्गमीटर में)**	**भूमि उपयोग का प्रकार**	**बेसमेंट के लिए प्रावधान**
1.	**100 तक**	आवासीय/अन्य गैर-वाणिज्यिक	अनुमति नहीं है
		आधिकारिक और वाणिज्यिक	जमीनी कवरेज का 50 प्रतिशत
2.	**100 से 500**	आवासीय	ग्राउंड कवरेज के समान

		गैर आवासीय	ग्राउंड कवरेज के समान
3.	**500 से 1000**	आवासीय	भवन की आवरण रेखा तक एक निम्नतल
		गैर आवासीय	भवन की आवरण रेखा तक दो बेसमेंट
4.	**1000 से ऊपर**	आवासीय / समूह आवास, वाणिज्यिक, आधिकारिक,	1000-2000 वर्गमीटर के लिए डबल बेसमेंट की अनुमति है। भूमि का क्षेत्रफल
			2000-10000 वर्गमीटर में चार बेसमेंट की अनुमति है। भूमि का क्षेत्रफल।
5.		सामुदायिक सुविधाएं और अन्य बहुमंजिला इमारतें	10000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली भूमि के लिए बेसमेंट का कोई प्रतिबंध नहीं।
6.		औद्योगिक	भवन की आवरण रेखा तक दो बेसमेंट

⇒पार्किंग सुविधा के लिए विनिर्देश (उप-अनुभाग - 3.10.1 और 3.10.3):

क) **सामान्य कार पार्किंग के लिए आवश्यक संचलन क्षेत्र:**

तालिका 8

पार्किंग क्षेत्र का प्रकार	परिसंचरण क्षेत्र (वर्गमीटर)
खुले क्षेत्र में पार्किंग	23
छादित पार्किंग	28
बेसमेंट में पार्किंग	32
यंत्रीकृत पार्किंग	16
साइकिल सहित दो पहिया वाहन	2

ख.**आवासीय के लिए पार्किंग व्यवस्था के मानक इस प्रकार हैं: तालिका**

उपयोग के प्रकार	भूमि क्षेत्र (वर्गमीटर में)	प्रत्येक आवासीय इकाई के लिए कार पार्किंग
प्लॉट आवासीय	101 to 200	1.00
	201 to 300	2.00
	300 से ऊपर	1.00
समूह आवास	50 से कम 2.00 वर्गमीटर	क्षेत्रफल प्रति प्लॉट
	50 to 100	1.0 / प्लाट
	100 to 150	1.25 / प्लाट
	150 से ऊपर	1.50 / प्लॉट

स्थानीय निकायों के पास धरोहर उपनियम/विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई उपलब्ध हो।

"विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि - 2008" में; संशोधित 2016, उप खंड - 3.1.9 (I) और (II), एएसआई द्वारा संरक्षित घोषित स्मारकों और विरासत स्थलों के लिए लागू एएसआई के अधिनियम के बारे में एक उल्लेख है। इसके तहत यह व्यक्त किया गया है कि

पुरातात्विक स्मारक/स्थलों की संरक्षित सीमा से 100 मीटर (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) की परिधि में किसी भी प्रकार के निर्माण एवं विकास की अनुमति नहीं है। तथा इसके आगे 300 मीटर (विनियमित क्षेत्र) तक निर्माण/विकास की अनुमति प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम-1958 के नियमानुसार राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण से प्राप्त की जायेगी।

<u>खुला स्थान</u> :

निर्माण के दौरान खुले स्थान के प्रावधान के मानक "विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उप पद्धति - 2008; संशोधित 2016", उप खंड - 2.2.1 और 2.2.3 में संक्षेप में दिए गए हैं। वे इस प्रकार हैं:

1. **आवासीय भूमि-उपयोग :** भूविन्यास का 15 प्रतिशत खुला स्थान के रूप में छोड़ दिया गया है बच्चो का क्रीडांगन और खेल का मैदान।
2. **गैर आवासीय भू-उपयोग :** भूविन्यास योजना का 10 प्रतिशत बच्चो का क्रीडांगन, एवं खेल मैदान के रूप में खुला स्थान छोड़ दिया गया है।
3. **भूदृश्य योजना:**
   क) सड़क की चौड़ाई 9 मीटर या 12 मीटर से कम होने पर सड़क के एक तरफ 10 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाए जाएंगे।

   ख) सड़क की चौड़ाई 12 मी से अधिक होने पर सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाए जाएंगे

   ग) डिवाइडर, पगडंडी आदि के बाद बची सड़क के क्षेत्र का उपयोग पेड़ लगाने के लिए किया जाएगा।

4. व्यवसायिक योजना में 20 प्रतिशत खुला स्थान हरियाली के लिए आरक्षित रहेगा तथा प्रति हेक्टेयर 50 वृक्ष रोपित किये जायेंगे।

5. संस्थागत क्षेत्र, जनसुविधाओं, खेल के मैदान जैसे क्षेत्रों में खुले क्षेत्र का 20 प्रतिशत हरियाली के लिए आरक्षित किया जाता है जहां प्रति हेक्टेयर 25 पेड़ लगाए जाते हैं।

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के साथ गतिशीलता - पैदल मार्ग, गैर-मोटर चालित परिवहन आदि।

स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आवाजाही के लिए कोई प्रावधान नहीं है

वर्तमान राज्य सरकार के अधिनियमों और दिशानिर्देशों में किए गए। जबकि, नगर के अंदर, सड़क यातायात में आमतौर पर दोपहिया, साइकिल, टेम्पो, कार, जीप, टैक्सी, वैन, ऑटो रिक्शा, मिनी बस, ट्रक, मेटा डोर, ट्रैक्टर और ट्रॉली, तांगा, ठेला आदि शामिल होते हैं।

इसके अलावा, मध्यम गति यंत्रीकृत और गैर यंत्रीकृत वाहन स्मारक के पास मौजूद सड़कों पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग-35 (एनएच-35) पर प्रतिषिद्ध क्षेत्र के दक्षिण दिशा से और विनियमित क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं से गुजरने वाले भारी और तेज़ यातायात को देखा जा सकता है।

इसके अलावा, "विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप पद्धति - 2008" के तहत निर्दिष्ट अन्य सड़क / सड़क विकास मापदंड, संशोधित 2016", उप खंड - 2.3.1 और 2.3.2:

• **आवासीय के लिए:**

तालिका 13

क्रमांक	**सड़क की लंबाई मीटर में ।**	**सड़क की चौड़ाई मीटर में**
1.	**200 मीटर तक**	9
2.	201 - 400	12
3.	401 – 600	18
4.	601 – 1000	24
5.	**1000 से ऊपर**	30

परिपथ गली की चौड़ाई 9 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, लंबाई 400 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। खुली भूमि या एक तरफ खुले क्षेत्र वाली सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर हो सकती है और इसकी लंबाई 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

50 एकड़ तक के क्षेत्र के साथ भूमि की थोक बिक्री के मामले में, पहुंच मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और 30 मीटर से अधिक क्षेत्र के साथ कम नहीं होनी चाहिए।

12 50 एकड़ वाणिज्यिक/आधिकारिक/औद्योगिक के लिए:

तालिका 14

क्रमांक	सड़क की लंबाई मीटर में	सड़क की चौड़ाई मीटर में
1.	200 मीटर तक	12
2.	201 – 400	18
3.	401 – 1000	24
4.	1000 से ऊपर	30

सड़क पिरदृश्य अग्रभाग और नया निर्माण

चित्रकूट धाम नगर में मौजूद विभिन्न भूमि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों के लिए प्रासंगिक सामान्य दिशानिर्देशों का उल्लेख पहले से ही उपरोक्त खंडों में किया गया है और आगे, अभी तक कोई दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए गए हैं, जो एएसआई स्मारकों के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर सड़कों और अग्रभागों से संबंधित हैं।

ANNEXURE -III

LOCAL BODIES GUIDELINES

⇒Setbacks for residential buildings (Sub) EXISTING GUIDELINES OF THE LOCAL BODIES/STATUS OF section - 3.4.1) with maximum allowed height is 12.5m (with stilt floor) and 10.5 m (without stilt floor):

Table 1

Specification	Plot Area (Sq. Mt.)	Front Margin	Rear Margin	Side1 Margin	Side2 Margin
Row Housing	Up to 50	1.0	-	-	-
	50 to 100	1.5	1.5	-	-
	100 to 150	2.0	2.0	-	-
	150 to 300	3.0	3.0	-	-
Semi Detached	300 to 500	4.5	4.5	3.0	-
Detached	500 to 1000	6.0	6.0	3.0	1.5
	1000 to 1500	9.0	6.0	4.5	3.0
	1500 to 2000	9.0	6.0	6.0	6.0

⇒Setbacks for Commercial/ Official buildings (Sub-section - 3.4.2 (I)), withheight upto 15m:

Table 2

Area of land in Sqm.	Set Back (In Meters)			
	Front	Rear	Side1	side2
Up to 200	3.0	3.0	-	-
201 - 500	4.5	3.0	3.0	3.0
More than 501	6.0	3.0	3.0	3.0

⇒Setbacks forInstitutional/Community facilities except Educational Institutions (Sub-section - 3.4.2 (II)), with height upto 12.5m:

Table 3

Area of land in Sqm.	Set Back (In Meters)			
	Front	**Rear**	**Side1**	**side2**
Up to 200	3.0	3.0	-	-
201 - 500	6.0	3.0	3.0	-
501 - 2000	9.0	3.0	3.0	3.0
2001 - 4000	9.0	4.0	3.0	3.0
4001 - 30000	9.0	6.0	4.5	4.5
More than 30000	15.0	9.0	9.0	9.0

⇒Setbacks for Educational Institutions (Sub-section - 3.4.3), with maximumallowed height 10.5 m:

Table 4

Area of land in Sqm.	Set Back (In Meters)			
	Front	**Rear**	**Side1**	**side2**
Up to 500	6.0	3.0	3.0	-
500 - 2000	9.0	3.0	3.0	3.0
2001 - 4000	9.0	4.0	3.0	3.0
4001 - 30000	9.0	6.0	4.5	4.5
More than 30000	15.0	9.0	9.0	9.0

⇒Setbacks for building having height more than 12.5m (Sub-section - 3.4.5):

Table 5

Height of Building (m)	Setback left around the Building (m)
12.5 to 15	5.0
15 to 18	6.0
18 to 21	7.0
21 to 24	8.0
24 to 27	9.0

27 to 30	10.0
30 to 35	11.0
35 to 40	12.0
40 to 45	13.0
45 to 50	14.0
50 to 55	15.0
Above 55	16.0

⇒Ground Coverage and FAR / FSI for various types of land use (Sub-section -3.5.1):

Table 6

Sr.No.	Land Use	Ground Coveragein %	F.A.R.
1.	**Plotted residential**		
A	**Constructed/ Developed Area**		
	⇒Upto 100 Sqm	75	2.00
	⇒101-300 Sqm	65	1.75
	⇒301-500 Sqm	55	1.50
	⇒501-2000 Sqm	45	1.25
B	New /Undeveloped area		
	⇒Upto 100 Sqm	75	2.00
	⇒101-300 Sqm	65	1.75
	⇒301-500 Sqm	55	1.50
	⇒501-2000 Sqm	45	1.25
2.	**Commercial**		
A	Constructed/ Developed Area:		
	City Centre/ Central BusinessDistrict	45	2.00
	Sub-City Centre/ Sub-CentralBusiness District	50	1.75
	Other Commercial zones	60	1.50
B	New /Undeveloped area		
	City Centre/ Central BusinessDistrict	40	3.00
	Sub-City Centre/ Sub-CentralBusiness District	45	2.50
	Other Commercial zones	50	1.75

3.	**Official**		
	Constructed Area	50	1.50
	Developed Area	45	2.00
	New/ Underdeveloped area	40	2.50
4.	**Educational**		
A	Constructed / Developing area		
	Primary or Nursery school	35	1.00
	High school / Intermediate / Higherinstitutes	30	1.00
B	New / Undeveloped area		
	Nursery school/ Primary school	40	1.20
	High school / Intermediate	35	1.20
	Degree college	35	1.50
	Technical / Management institute	35	2.00
5.	**Community and Institutional facilities**		
A	Constructed / Developed area	40	1.50
B	New / Underdeveloped area		
	Community hall, marriage hall & Religious building	40	1.50
	Other Institutes	30	2.00
6.	**Hotel**		
	Constructed / Developed area	40	2.00
	New / Underdeveloped area	40	2.50
7.	**Hospital**		
A	**Constructed / Developed area**		
	⇒Clinic/ Dispensary	35	1.50
	⇒50 bedded Nursing home	35	1.50
	⇒Hospital having more than 50 beds	35	1.50
B	**New / Underdeveloped area**		
	⇒Clinic/ Dispensary	40	1.50
	⇒50 bedded Nursing home	35	1.50
	⇒50-100 bedded hospitals	30	2.00
	⇒Hospitals having more than 100 beds	30	2.50

8.	**Open area**		
	Constructed / Developed area	2.5	0.025
	New / underdeveloped area	2.5	0.025

⇒Specifications for Basement Construction (Sub-section - 3.9.1, 3.9.2 & 3.9.3):

- Basement shall not be used for residential purpose. And no toilet and kitchen areallowed to be constructed in basement.
- The basement is permissible below the inner courtyard and shaft.The construction of basement will be done only after evaluation of the structure. The neighbouring property should be 2m away from the property where basement has to be constructed.
- The distance between the floor and the beam bottom should be from 2.1m - 4.5m in height.
- For different type of buildings the construction of basement should be accordingly:

Table 7

Sr. No.	Land area (inSqm)	Type of Land use	Provision for Basement
1.	Upto 100	Residential/ othernon - commercial	Not Permissible
		Official and commercial	50 percent of ground coverage
2.	100 to 500	Residential	Same as ground coverage
		Non - Residential	Same as ground coverage
3.	500 to 1000	Residential	One basement till building'senvelope line
		Non - Residential	Two basements till building'senvelope line
4	Above1000	Residential/ Group Housing, Commercial, Official,	Double basements are allowed for 1000-2000 Sqm. area of land
			Four basements are allowed in2000-10000 Sqm. area of land.

		Community facilities and other multi storied buildings	No restrictions of basements for land having more than
		Industrial	Two basements till building'senvelope line

⇒Specifications for Parking Facility (Sub-section - 3.10.1 & 3.10.3) :

A. The circulation area required for common car parking:

Table 8

Type of Parking Area	Circulation Area (sqm)
Parking in open area	23
Covered parking	28
Parking in basement	32
Mechanised Parking	16
Two wheelers including bicycles	2

B. The standard of parking arrangements for residential are as follows:

Table9

Type of Uses	Land area (in Sqm)	Car Parking for each residential unit
Plotted Residential	101 to 200	1.00
	201 to 300	2.00
	Above 300	1.00
Group housing	Less than 50	2.00 sqm area per Plot
	50 to 100	1.0 / Plot
	100 to 150	1.25 / Plot
	Above 150	1.50 / Plot

Heritage Bye-laws/ regulations/ guidelines if any available with local Bodies. In the "Development authority building construction and development sub method - 2008; Revised 2016, sub section - 3.1.9 (I) & (II)**, there is a mention about the ASI's act applicable for the monuments and heritage sites declared protected by the ASI. Under this, it is expressed that, no construction and development is allowed in a periphery of 100m (Prohibited Area) from the protected boundary of the archaeological monument/sites. And, beyond that, up to 300m (Regulated Area), the permission for construction / development would be obtained from the Department**

of ASI as per the rules of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act - 1958.

Open spaces.

Standard regarding provision of open spaces during construction are briefed in the "**Development authority building construction and development sub method - 2008; Revised 2016", sub section - 2.2.1 & 2.2.3.** They are as follows:

1. **Residential land- use**: 15 percent of layout plan is left as open space as Tot-Lot, park and play ground.
2. **Non Residential land-use:** 10 percent of layout plan is left as open space as Tot-Lot, park and play ground.
3. **Landscape Plan:**
   a. The trees will be planted at distance of 10m on one side along the road when theroad width is 9m or less than 12m.
   b. The trees will be planted on both side along the road when road width is more than 12m.
   c. The area of the road left after divider, footpath etc. will be used to plant trees.
4. In the commercial planning, 20 percent of open space will be reserved forgreeneryand 50 trees will be planted per hectare.
5. In the areas like institutional area, public amenities, playground, 20 percent of openarea is reserved for greenery where 25 trees are planted per hectare.

Mobility with the Prohibited and Regulated Area -Road Surfacing Pedestrian Ways, non - motorised Transport etc.

For mobility in prohibited and Regulated Areas of the monument, there are no provision made in the current state government acts and guidelines. While, inside the city, street traffic generally comprises of two wheelers, bicycles, tempos, car, jeeps, taxi, vans, auto rickshaws, mini bus, truck, meta door, tractor and trolley, tongas, thelas and so forth. Also, moderate moving mechanized and non mechanized vehicles can be seen on the roads present near the monument. Moreover, onthe National Highway - 35 (NH-35) passing from south direction of theProhibited Area and from south-east & south-west directions of the regulated area, heavy and fast moving traffic can be seen.

Further, the other Road/ Street Development parameters specified under the **"Development authority building construction and development sub method -2008; Revised 2016", sub section - 2.3.1 & 2.3.2:** For Residential:

Table 13

Sr. No.	Length Of Road in Mts.	Width of Road in Mts.
1.	Upto 200 Mts.	9

2.	201 - 400	12
3.	401 - 600	18
4.	601 - 1000	24
5.	Above 1000	30

Width of Loop Street should not be less than 9 Mts length not more than 400 Mts. Width of Road with open land or open area on one side can be 7.5 Mts and it shouldnot be more than 200 Mts in length. In case of bulk sale of lands with area upto 50 Acres, the width of access road shouldnot be less than 24 Mts, and not less than 30Mts with area more than 12 50 Acre. For Commercial/Official/ Industrial :

Table 14

Sr. No.	Length Of Road in Mts.	Width of Road in Mts.
1.	Upto 200 Mts.	12
2.	201 - 400	18
3.	401 - 1000	24
4.	Above 1000	30

Streetscapes, Facades and New construction

The general guidelines pertinent for different types of development work, in the different land zones existing throughout the Chitrakoot Dham city has been already mentioned in above sections and further, there are no guidelines farmed in yet, pertaining to streetscapes and facades within the Prohibited and Regulated area of the ASI monuments.

अनुलग्नक- IV
ANNEXURE – IV

नगर कब्रिस्तान, कर्वी, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के लिए संरक्षित, प्रतिषिद्ध एवं विनियमित सीमाओं के साथ-साथ रूपरेखा दर्शाने वाली सर्वेक्षण योजना।

Survey plan showing contours along with the Protected, Prohibited and Regulated boundaries for City Cemetery, Karwi, District - Chitrakoot, Uttar Pradesh

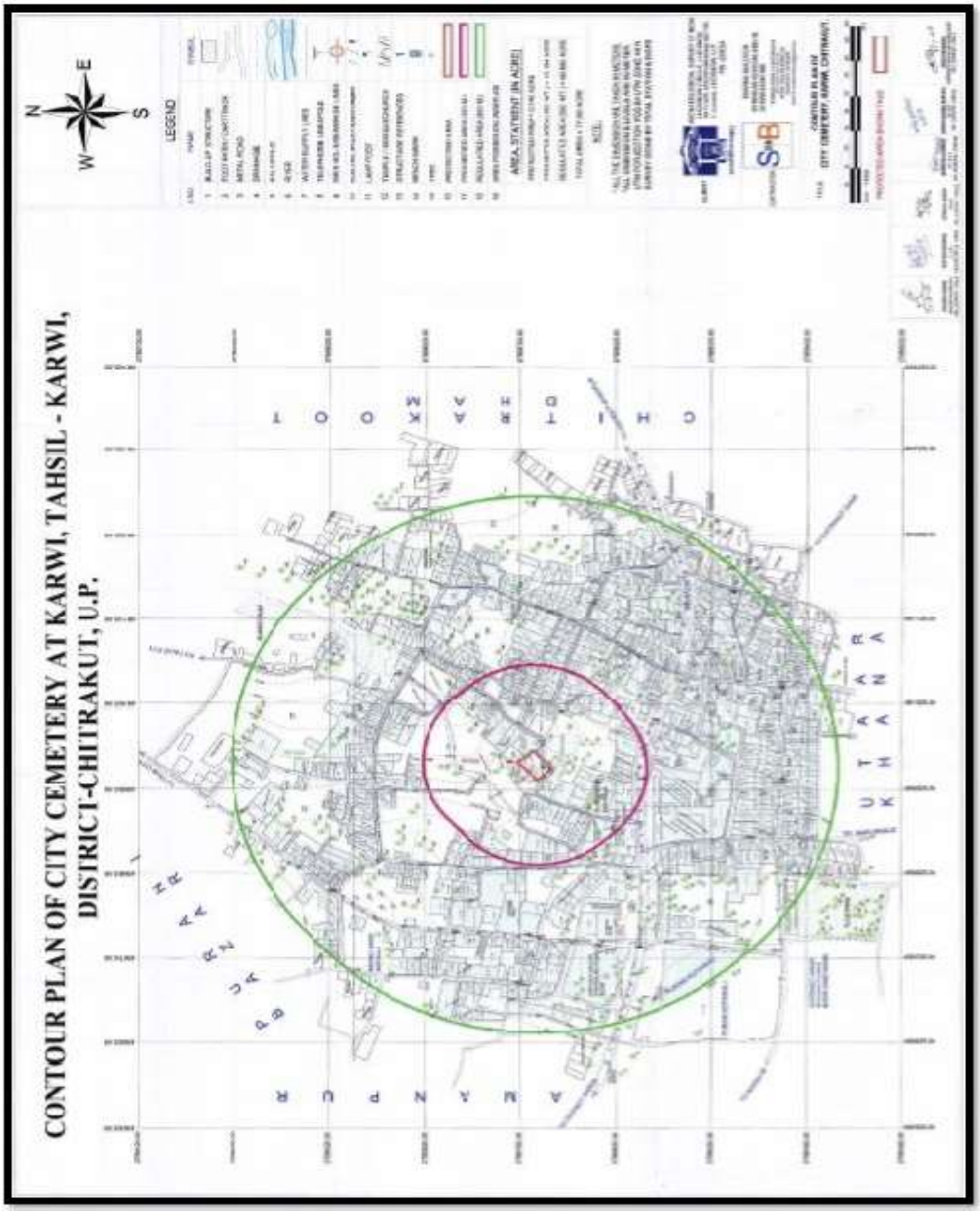

अनुलग्नक- V

ANNEXURE – V

नगर कब्रिस्तान, कर्वी, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के छायाचित्र

Pictures of City Cemetery, Karwi, District - Chitrakoot, Uttar Pradesh

चित्र 1, संरक्षण से पहले कब्रिस्तान के दृश्य।

Plate 1, Views of the cemetery before conservation.

चित्र 2, संरक्षण के बाद कब्रिस्तान के दृश्य

Plate 2, Views of cemetery after conservation